न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः गितेश श्री मालवीया, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्री वणवीर पुत्र हमीरजी, जाति-रेबारी, निवासी-वेरापुरा, तहसील- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही.

राजस्व अपील संख्याः 36/2020

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार

–: निर्णय :– **दिनांक 23 दिसम्बर, 2020**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 बाबत ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 78 रकबा 0.0480 हेक्टेयर किस्म गै.मु. कातरा भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि में प्रदत्त प्रावधानों के विपरित अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह कि अपीलार्थी का विवादित भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस में अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि पर संवत 2077 में अतिक्रमण किये जाने का उल्लेख किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में अपीलार्थी ने संवत 2077 से पूर्व विवादित भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था का उल्लेख नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत कोई साक्ष्य उपलब्ध नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बेदखल करने, जुर्माना आरोपित करने व एक माह के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध है। यह कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है एवं अपीलार्थी को विवादित भूमि से पूर्व में कभी भी मौके से बेदखल नही किया है। अपीलार्थी ने विवादित भूमि को काश्त उपयोग में नहीं लिया है, बल्कि अपीलार्थी के पास आवास एवं पशुओं रखने हेतु कोई भूमि होने के कारण विवादित भूमि पर अपीलार्थी ने वाडा व झौपडा/कच्चा मकान बनाकर मौके पर अपने परिवार सहित निवास कर रहा है व अपने मवेशीयों को रखने हेतु विवादित भूमि को बाडे के रुप में उपयोग में लेता आ रहा है। यह कि ग्राम पंचायत माकरोडी ने भी ग्राम सभा दिनांक 11.9.2014 में प्रस्ताव संख्या 4 व दिनांक 27.[illegible].20 के प्रस्ताव संख्या 26 पारित कर ग्राम माकरोडा के खसरा संख्या 78 की रकबा [illegible] बीघा भूमि को आबादी हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:51:13 IST
Reason: SelfAttested

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

आवंटित/नियमन करने का निर्णय पारित करते हुए अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 188 दिनांक 01.10.2020 को जारी किया है एवं खसरा संख्या 78 की रकबा 20 बीघा भूमि को आबादी विस्तार हेतु आवंटित/नियमन करने हेतु जिला कलक्टर महोदय, सिरोही को पत्र दिनांक 01.10.2020 के द्वारा अनुरोध किया गया है। जिस पर जिला कलक्टर कार्यालय, सिरोही के पत्र क्रमांकःपं.12(3)()राज/2020/3340–41 दिनांक 14.10.2020 के द्वारा खसरा संख्या 78 की भूमि ग्राम पंचायत, माकरोडा का आबादी विस्तार हेतु आवंटित किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही को पत्र जारी किया गया है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 31 के अर्न्तगत भी ऐसे लोग/परिवार जिनके आवास हेतु भूमि उपलब्ध नही है को आवास हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के प्रावधान है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.10.2020 को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, माकरोडा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध संवत 2077 में ग्राम माकरोडा, पटवार हल्का माकरोडा के खसरा संख्या 78 रकबा 0.0480 हेक्टेयर किस्म कातरा भूमि पर कब्जा व बाड कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जारी नोटिस में अपीलार्थी ने पूर्व में विवादित भूमि पर कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था, का उल्लेख नही किया है, जबकि विधि अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमण के नोटिस में पूर्व में कौनसे कृषि वर्ष में अतिक्रमण किया था उसका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 में भी यह उल्लेख नही किया है कि अपीलार्थी ने विवादित भूमि पर पूर्व में कौनसे वर्ष अतिक्रमण किया था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने खसरा संख्या 78 किस्म गै.मु. कातरा राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है। ऐसी स्थिति में, उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए बेदखली एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 04/2020 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2020 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के आदेश एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत बहाल रखते हुए एक माह के सिविल कारावास की सजा के आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

23/12/2020

(गितेश श्री मालवीया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2021.01.10 16:51:13 IST
Reason: SelfAttested